संख्या 27/11/2012-SRS

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितम्बर, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून

विषय: श्री मनोज कुमार, फ़ार्मासिस्ट का दाम्पत्य नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन के आधार पर श्री सुशील चन्द्र, फ़ार्मासिस्ट के प्रकरण पर पुनर्विचार ।

महोदय,

ऊपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 10-07-2012 को आयोजित बेठक में श्री सुशील चन्द्र, फ़ार्मासिस्ट के दाम्पत्य नीति के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य पुनरावंटन के संबंध में पुनर्विचार किया गया । अपने प्रत्यावेदन में श्री सुशील चन्द्र द्वारा अवगत करवाया गया है कि फ़ार्मासिस्ट श्री मनोज कुमार का आवंटन दाम्पत्य नीति के आधार पर उत्तराखंड राज्य हेतु किया गया है जबकि उनकी पत्नी की नियुक्ति नियत तिथि के बाद हुई है । अतः वह भी उत्तराखंड राज्य आवंटन के पात्र है ।

2. समिति को अवगत करवाया गया कि श्री सुशील चन्द्र की पत्नी की नियुक्ति नियत तिथि के उपरांत दिनांक 25-09-2009 को हुई है । अतः समिति द्वारा स्पष्ट किया गया कि नियत तिथि के बाद नियुक्त कार्मिकों के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जाना समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है । अतः समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकृत किए जाने की संस्तुति की गई ।

भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री सुशील चन्द्र, फ़ार्मासिस्ट उत्तर प्रदेश राज्य में बने रहेंगे । संबंधित कार्मिक को आवंटन के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
25 SEP 2012

प्रतिलिपि:

1. श्री [illegible]वेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ-226001 ।

जारी किया / ISSUED

2. श्री आर0के0 सुधान्शु, अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।